11.5.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट पीरस में पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार ग्राम पीरस के भूमि स्व.न. 2310/445, 2343/458 2344/458, 2908/453 किता-4 कुल रकबा 1.89 है. के वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 से 3 खातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि शामलाती खातेदारी भूमि है तथा भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन करवाना चाहते है। रिकार्डेड खातेदार होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण धारा 53 के प्रावधान अनुसार विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी है।

आदेश

वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम पीरस की सरहद में स्थित भूमि स्व.न. 2310/445, 2343/458, ~~23~~ 2344/458 2908/453 किता-4 कुल रकबा 1.89 है. राशि का वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 से 3 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभय पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में एक माह में न्यायालय हाजा में भिजवावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 11.5.18 को कैम्प कोर्ट पीरस में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

Scanned by CamScanner